संख्या-10 /2018 / 1329/46-3-18-1000(53)/2017

प्रेषक

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23 (गन्ना/ राजस्व) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण-01-वेतन मद में हो रही बचत की धनराशि को अनुदान संख्या-23 (गन्ना/ राजस्व) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान, लेखा शीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय एवं 2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण के मानक मद **"गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद"** मद में पुनर्विनियोग की अनुमति सहित, वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 832/लेखा-बजट (पुनर्विनियोग) /2018-19, दिनांक 20-07-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-23 **(गन्ना/ राजस्व)** के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2401-**फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण के मानक मद- 01-वेतन मद हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध अनुदान/ हो रही बचत की धनराशि रू.13.00 लाख (रूपया तेरह लाख मात्र)** को **अनुदान संख्या**-23 **(गन्ना/ राजस्व)** के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2401-**फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान, 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय एवं** 2401-**फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण के "गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद"** मद **में, संलग्न प्रपत्र वी0एम0-9(भाग-1) के अनुसार, रू.13.00 लाख (रूपया तेरह लाख मात्र) के पुनर्विनियोग की अनुमति सहित,** वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, सुसंगत शासनादेशों/ नियमों के अनुसार किया जायेगा एवं उक्त धनराशि का व्यय नहीं होने की दशा में दिनांक 31-03-2019 तक वित्त विभाग को समर्पित कर दी जायेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष अनुदान संख्या-23 **(गन्ना/ राजस्व)** के अन्तर्गत, लेखा शीर्षक- 2401-**फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान, 2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय एवं** 2401-**फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण के** अन्तर्गत, **संलग्न प्रपत्र वी0एम0-9(भाग-1) में उल्लिखित मानक मद के नामे** डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशा0 संख्या- ई-6/ 574 -दस-2018, दिनांक 14 अगस्त , 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 10 /2018 /1142(1)/46-3-18-1000(53)/2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- महालेखाकार,(आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा, उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन,सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ ।

4- मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,

7- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(शिव शंकर द्विवेदी)

उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिये आवेदन/स्वीकृति
सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर–158

अनुदान संख्या व नामः–.23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना)
वित्तीय वर्षः 2018-19

प्रपत्र–बी0एम0-9 (भाग–1) (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
अनुदान संख्या /लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान संख्या-23 (गन्ना/राजस्व) लेखाशीर्ष –2401-फसल कृषि कर्म 108-वाणिज्यिक फसलें- 04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण 01-वेतन	8828.24	32.49	32.49	13.00	**8815.06**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष(15 डिजिट कोड में/आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान संख्या-23 (गन्ना/राजस्व) लेखाशीर्ष –2401-फसल कृषि कर्म 001-निदेशन तथा प्रशासन- 03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान **15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद**	3.00	21.00	18.00	**10.00**	13.00
अनुदान संख्या-23 (गन्ना/राजस्व) **लेखाशीर्ष –2401-फसल कृषि कर्म** 001-निदेशन तथा प्रशासन- 04-क्षेत्रीय कार्यालय **15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद**	0.21	3.00	**2.79**	**1.00**	**1.21**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुदान संख्या-23 (गन्ना/राजस्व) **लेखाशीर्ष –2401-फसल कृषि कर्म** 108-वाणिज्यिक फसलें- 04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण **15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद**	3.30	15.00	**11.70**	**2.00**	**5.30**
योग-	**6.51**	**39.00**	**32.49**	**13.00**	**19.51**

(रूपये तेरह लाख मात्र)

नोट— वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों/अधिकारियों के निरन्तर सेवानिवृत्त होने एवं कोई नयी नियुक्ति न होने के कारण वेतन मद में हो रही बचत के कारण एवं अन्य मदों में आवश्यकता होने के दृष्टिगत पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर—150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

संख्याः आर.ई./74/ दिनांक 16 अगस्त, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(**नरेश बहादुर**)
विशेष सचिव
चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उदयोग अनुभाग 3
संख्या-10 /2018/1329/46-3-18-1000(53)/2016
लखनऊ: दिनांक: 24 अगस्त , 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा, उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिव शंकर द्विवेदी)
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in